के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के अलावा अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा किये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य की योजना बनाना तथा उसे कार्यरूप देना सम्मलित था। बाद में लिए गए इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप कि, अंग्रेजी के अलावा, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं इन परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में साथ-साथ आरम्भ की जायं, यह कार्य भी परीक्षा नियंत्रक को सौंपा गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है इस पद के वर्तमान धारक को उनकी वार्धक्य निवृत्ति आयु होने पर 21 फरवरी, 1968 से दो वर्ष की और फिर 21 फरवरी, 1970 से एक वर्ष की सेवावृद्धि दी गई थी। ये सेवावृद्धियां संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यमों के संबंध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अविलम्बनीय प्रारम्भिक कार्य हाथ में लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया लोक-हित में दी गई हैं।

श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

8212. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में मजिस्ट्रेट की जांच के संबंध में 20 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच-रिपोर्ट से पता लगा है कि पहले स्थानीय पुलिस द्वारा और बाद में विशेष पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़तालें परस्पर विरोधी हैं ;

(ख) क्या सरकार इस मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिये जांच करायेगी ;

(ग) यदि हां, तो यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस तारीख को सौंपा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस जांच का संचालन विशेष पुलिस द्वारा कभी नहीं किया गया था। अतः स्थानीय पुलिस तथा विशेष पुलिस द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदनों के परस्पर विरोधी होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) मजिस्ट्रेट द्वारा पहले की जा चुकी जांच को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जाँच की जा चुकी है, इसलिए केन्द्रीय जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है।

श्री बलदेव सिंह की हत्या

8213. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री धमेता (जि० कांगड़ा) में श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में